तत्काल / समयबद्ध

संख्या– 577 /11–2–2025–9(42) / 17–टी0सी0–71

प्रेषक,

बृजेश कुमार मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त निदेशक,
राजकीय मुद्रणालय,
ऐशबाग, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग–2 लखनऊः दिनॉकः 24 मार्च, 2025

विषयः– अधिसूचना को मुद्रित करने एवं गजट में प्रकाशन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या–70 / ग्यारह–2–25–9(42) / 17–टी0सी0–71–उ0प्र0जी0एस0टी0नियम–2017–आदेश–(336)–2025, दिनांक 24 मार्च, 2025 की अंग्रेजी एवं हिन्दी की एक–एक प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अधिसूचना की 1000 प्रतियॉ मुद्रित कराते हुये इसे दिनांक 24 मार्च, 2025 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (क) के अन्तर्गत प्रकाशित कराकर 500 प्रतियां आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को एवं 500 प्रतियां शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(बृजेश कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव।

संख्याः– 577 (1) / 11–2–2025, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपिः संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।
2– निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0, लखनऊ (प्रचार–प्रसार हेतु)।
3– विधायी विभाग (अनुभाग–1), उ0प्र0 शासन।
4– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव।

gov.press adhi

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-70/ग्यारह-2-25-9(42)/17-टी.सी.71-उ0प्र0जी0एस0टी0नियम-2017-आदेश-(336)-2025

लखनऊ; दिनांकः२५ मार्च, 2025

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (पैंसठवां संशोधन) नियमावली, 2025

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (पैंसठवां संशोधन) नियमावली, 2025 कही जायेगी। (2) इस नियमावली में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह तारीख 08 अक्टूबर, 2024 से प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी।
नियम 36 का संशोधन	2.	उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) में नियम 36 के उपनियम (3) में शब्द "तथ्यों को छिपाने" के पश्चात् शब्द और अंक, "धारा 74 के अधीन" बढ़ा दिये जाएंगे।
नियम 46 का संशोधन	3.	तारीख 1 नवंबर, 2024 से उक्त नियमावली के नियम 46 में ,- (क) खंड (ध) के पश्चात् दूसरा परंतुक निकाल दिया जाएगा ; (ख) तीसरे परंतुक में शब्द"परंतु यह भी कि की दशा में" के स्थान पर शब्द "परंतु यह और कि की दशा में" शब्द रख दिये जाएंगे;

नियम 47क का बढ़ाया जाना	4.	उक्त नियमावली में नियम 47 के पश्चात् तारीख 1 नवंबर, 2024 से निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:- "47क. उन मामलों में कर बीजक जारी करने के लिए समय सीमा जहां प्राप्तिकर्ता को बीजक जारी करना अपेक्षित है,- नियम 47 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां नियम 46 में निर्दिष्ट बीजक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है, द्वारा धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (च) के अधीन जारी किए जाने के लिए अपेक्षित है, वह यथास्थिति माल या सेवा या दोनों के उक्त प्रदाय की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर उक्त बीजक जारी करेगा ।"
नियम 66 का संशोधन	5.	उक्त नियमावली में नियम 66 के उपनियम (1) में शब्द, अक्षर और अंक "प्ररूप जीएसटीआर-7" के पश्चात तारीख 1 नवम्बर, 2024 से शब्द "कैलेण्डर मास के उत्तरवर्ती मास के दसवें दिन या उससे पहले बढ़ा दिये जाएंगे ।
नियम 86 का संशोधन	6.	उक्त नियमावली के नियम 86 के उपनियम (4ख) के खंड (ख) में शब्द, कोष्ठक और अंक "नियम 96 के उपनियम (10) के उल्लंघन में" निकाल दिये जाएंगे।
नियम 88ख का संशोधन	7.	उक्त नियमावली के नियम 88ख के उपनियम (1) में शब्द और अंक "या धारा 74" के पश्चात तारीख 1 नवम्बर, 2024 से शब्द, अंक और अक्षर, "या धारा 74क" बढ़ा दिये जाएंगे ।
नियम 88घ का संशोधन	8.	उक्त नियमावली के नियम 88घ के उपनियम (3) में "या धारा 74" शब्दों और अंकों के पश्चात तारीख 1 नवम्बर, 2024 से शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 74क" बढ़ा दिये जाएंगे ।
नियम 89 का संशोधन	9.	उक्त नियमावली के नियम 89 में,- (क) उपनियम (4) में,- (i)खंड (ख) में, शब्द, कोष्ठक अंक और अक्षर "इनपुट कर प्रत्यय से भिन्न जिसके लिए उपनियम 4(क) या उपनियम 4(ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा किया गया है," निकाल दिये जायेंगे। (ii) खंड (ग) में, शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर "पूर्तियों के

		आवर्त से भिन्न, जिसके सम्बंध में उपनियम 4(क) या उपनियम 4(ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा किया गया है," निकाल दिये जाएंगे। (iii) खंड (ड.) में, शब्द "सुसंगत अवधि के दौरान" से प्रारम्भ होने वाली और शब्द "अपवर्जित करते हुए" पर समाप्त होने वाली लम्बी लाइन के स्थान पर शब्द "सुसंगत अवधि के दौरान शून्य दर पूर्तियों से भिन्न छूट प्राप्त पूर्तियों के मूल्य को अपवर्जित करते हुए" रख दिए जाएंगे। (ख) उपनियम (4क) और उपनियम (4ख) निकाल दिया जाएगा; (ग) उपनियम (5) के स्पष्टीकरण में, खण्ड (क) में, शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर " इनपुट कर प्रत्यय से भिन्न जिसके लिए उपनियम 4(क) या उपनियम 4(ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा किया गया है" निकाल दिये जाएंगे।
नियम 96 का संशोधन	10.	उक्त नियमावली के नियम 96 में, उपनियम (10) निकाल दिया जाएगा ।
नियम 96ख का संशोधन	11.	उक्त नियमावली के नियम 96ख के उपनियम (1) में शब्द और अंक "धारा 73 या धारा 74" के स्थान पर तारीख 1 नवंबर, 2024 से शब्द, अंक और अक्षर, "धारा 73 या धारा 74 या धारा 74क यथास्थिति" रख दिये जाएंगे ।
नियम 121 का संशोधन	12.	उक्त नियमावली के नियम 121 में शब्द और अंक "धारा 73 या धारा 74 के अधीन कार्यवाहियां, यथास्थिति" के स्थान पर तारीख 1 नवंबर, 2024 से शब्द, अंक और अक्षर "धारा 73 या धारा 74 या धारा 74क के अधीन कार्यवाहियां, यथास्थिति" रख दिए जाएंगे।
नियम 142 का संशोधन	13.	उक्त नियमावली के नियम 142 में तारीख 1 नवंबर, 2024 से- (क) उपनियम (1) में- (i) खंड (क) में शब्द और अंक "या धारा 74" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 74क" बढ़ा दिए जाएंगे । (ii) खंड (ख) में शब्द और अंक "धारा 74 की" के पश्चात् शब्द,

		कोष्ठक, अंक और अक्षर "या धारा 74क की उपधारा (3)" बढ़ा दिए जाएंगे । (ख) उपनियम (1 क) में, शब्द और अंक "धारा 74 की" के पश्चात् शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर "या धारा 74क की उपधारा (1)" बढ़ा दिए जाएंगे। (ग) उपनियम (2) में शब्द, कोष्ठक और अंक "या धारा 74 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसरण में यथास्थिति कर, ब्याज और शास्ति" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर "या धारा 74क की उपधारा (8) के खंड (i) या धारा 74 की उपधारा (5) या धारा 74क की उपधारा (9) के खंड (i) के अनुसरण में, यथास्थिति कर, ब्याज और शास्ति" रख दिए जाएंगे। (घ) उपनियम (2ख) में शब्द और अंक "या धारा 74" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 74क" बढ़ा दिए जाएंगे। (ङ) उपनियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रख दिया जाएगा अर्थात- "(3) जहां कर से प्रभार्य कोई व्यक्ति धारा 73 की उपधारा (8) के अधीन या धारा 74क की उपधारा (8) के खंड (ii) के अधीन यथास्थिति कर और ब्याज या धारा 74 की उपधारा (8) के अधीन या धारा 74क की उपधारा (9) के खंड (ii) के अधीन यथास्थिति कर, ब्याज और शास्ति का उनमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदाय करता है या जहां संबंधित व्यक्ति धारा 129 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी रकम का उस धारा की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई सूचना के 7 दिन के भीतर किन्तु उक्त उपधारा (3) के अधीन आदेश के जारी होने से पूर्व संदाय करता है, तो वह प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में ऐसे संदाय को समुचित अधिकारी को सूचित करेगा और समुचित अधिकारी उक्त सूचना के संबंध में कार्यवाही का समापन करते हुए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-05 में सूचना जारी करेगा ।"

		(च) उपनियम (4) में शब्द और अंक "धारा 74 की" के पश्चात् शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर "या धारा 74क की उपधारा (6)" बढ़ा दिए जाएंगे। (छ) उपनियम (5) में शब्द और अंक "या धारा 74" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 74क" बढ़ा दिए जाएंगे ।
नियम 164 का बढ़ाया जाना	14.	उक्त नियमावली के नियम 163 के पश्चात् तारीख 1 नवंबर, 2024 से निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात- "164. धारा 73 के अधीन जारी की गई मांगों के संबंध में धारा 128क के अधीन कार्यवाही को बंद करने के लिए प्रक्रिया और शर्तें- (1) कोई व्यक्ति जो धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (क) में उल्लिखित किसी सूचना या किसी कथन के संबंध में ब्याज या शास्ति या दोनों के अधित्यजन के लिए पात्र है, तो वह मांग किए गए कर के संबंध में प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में किए गए संदायों के ब्यौरों के साथ यथास्थिति उक्त सूचना या कथन का ब्यौरा देते हुए सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन फाइल कर सकेगा । (2). कोई व्यक्ति जो धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) में उल्लिखित आदेशों के संबंध में ब्याज या शास्ति या दोनों के अधित्यजन के लिए पात्र है,तो वह मांग किए गए कर के संबंध में किए गए संदायों के ब्यौरों के साथ उक्त आदेश का ब्यौरा देते हुए सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन फाइल कर सकेगा : परंतु यह कि ऐसे मांग किए गए कर के संबंध में संदाय केवल उक्त आदेश द्वारा सृजित नामे प्रविष्टि के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में रकम प्रत्यय करके किया जाएगा : परंतु यह और कि यदि ऐसे मांग किए गए कर के संबंध में संदाय प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से किया गया है, तो प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 में आवेदन फाइल करने से पूर्व, नियम 142 के उपनियम (2ख) में यथाविहित प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03क में, उक्त मांग के लिए सृजित नामे प्रविष्टि के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में उक्त रकम के प्रत्यय के लिए उक्त व्यक्ति द्वारा

		आवेदन फाइल किया जाएगा । (3). जहां धारा 128क की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना या कथन या आदेश में आंशिक रूप से गलत प्रतिदाय के कारण और आंशिक रूप से अन्य कारणों से कर की मांग भी सम्मिलित है, तो उक्त उपधारा के अधीन अधिसूचित तारीख को या इससे पूर्व केवल उक्त सूचना या कथन या आदेश में मांग किए गए कर की पूर्ण रकम के संदाय के पश्चात् ही उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन कोई आवेदन फाइल किया जा सकेगा । (4). जहां धारा 128क की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना या कथन या आदेश में आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि के लिए और आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि से भिन्न अवधि के लिए कर की मांग सम्मिलित है, तो उक्त उपधारा के अधीन अधिसूचित तारीख को या इससे पूर्व केवल उक्त सूचना या कथन या आदेश में मांग किए गए कर की पूर्ण रकम के संदाय के पश्चात् ही उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन आवेदन फाइल किया जा सकेगा । (5). उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन संदेय रकम वह रकम होगी, जो धारा 73 के अधीन यथास्थिति सूचना या कथन या आदेश के निबंधन में संदेय रकम में से उस रकम जो धारा 16 की उपधारा (5) या उपधारा (6) के अनुसरण में संदेय नहीं है, को घटाकर संदेय बनी रहती है । (6). कोई व्यक्ति जो उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन कोई आवेदन फाइल करना चाहता है, धारा 128क की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर ऐसा कर सकता है : परंतु यह कि जहां धारा 128क की उपधारा (1) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट मामलों में कोई आवेदन प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 में फाइल किया जाना है, उक्त आवेदन को फाइल करने के लिए समय-सीमा धारा 73 के अधीन ऐसे कर का पुनर्निर्धारण करते हुए समुचित अधिकारी के आदेश की संसूचना की तारीख से छह मास होगी । (7). उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन आवेदन, यह स्थापित करने के लिए कि आवेदक धारा 128क के निबंधनों में कर या शास्ति या दोनों के अधित्यजन के

		लिए पात्र है, यथास्थिति, किसी अपील प्राधिकारी या अधिकरण या न्यायालय के समक्ष फाइल की गई अपील या रिट याचिका, यदि कोई हो, के प्रत्याहरण के साक्ष्य संबंधी दस्तावेज से संलग्न होगा : परंतु यह कि जहां आवेदक ने यथास्थिति अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष कोई अपील या रिट याचिका के प्रत्याहरण के लिए कोई आवेदन फाइल किया है किंतु उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन आवेदन फाइल करने की तारीख तक संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रत्याहरण के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, आवेदक उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन आवेदन के साथ उक्त अपील या रिट याचिका के प्रत्याहरण के लिए फाइल किए गए ऐसे आवेदन या दस्तावेज की प्रति अपलोड करेगा और संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रत्याहरण के लिए उक्त आदेश के जारी होने के एक मास के भीतर सामान्य पोर्टल पर उक्त अपील या रिट याचिका के प्रत्याहरण के लिए आदेश की प्रति को अपलोड करेगा । (8). जहां समुचित अधिकारी का यह दृष्टिकोण है कि प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01 या प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 में किया गया आवेदन नामंजूर किये जाने के लिए दायी है क्योंकि धारा 128क के अनुसार ब्याज या शास्ति या दोनों के अधित्यजन के लिए पात्र नहीं है, वह उक्त आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर प्ररूप जीएसटी एसपीएल-03 में आवेदक को सामान्य पोर्टल पर सूचना जारी करेगा और आवेदक को सुनवाई किए जाने का अवसर भी प्रदान करेगा । (9). उपनियम (8) के अधीन सूचना की प्राप्ति पर आवेदक उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी एसपीएल-04 में सामान्य पोर्टल पर उक्त सूचना का उत्तर फाइल कर सकेगा । (10). यदि समुचित अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक धारा 128क के अनुसार ब्याज और शास्ति के अधित्यजन के लिए पात्र है, वह धारा 128क के अधीन उक्त आवेदन को स्वीकार करने और कार्यवाहियों का समापन करने के लिए सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी एसपीएल-05 में आदेश जारी करेगा । (11). ऐसे मामलों में जहां उपनियम (10) के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा प्ररूप जीएसटी एसपीएल-05 में आदेश जारी किया गया है-

		(क) धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी सूचना या कथन से संबंधित प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01 में फाइल किए गए किसी आवेदन के संबंध में, नियम 142 के उपनियम (5) के अनुसार प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07 में आदेश का सार उक्त सूचना या विवरण के संबंध में समुचित अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित नहीं होगा; (ख) धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी आदेश से संबंधित प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 में फाइल किए गए किसी आवेदन के संबंध में, इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर के भाग 2 में सृजित दायित्व को तद्नुसार संशोधित किया जाएगा । (12). यदि समुचित अधिकारी आवेदक के उत्तर से संतुष्ट नहीं है, समुचित अधिकारी उक्त आवेदन को नामंजूर करते हुए प्ररूप जीएसटी एसपीएल-07 में आदेश जारी करेगा । (13). (क) ऐसे मामलों में जहां प्ररूप जीएसटी एसपीएल-03 में सूचना जारी नहीं की गई है, समुचित अधिकारी यथास्थिति प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01 या प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर उपनियम (10) के अधीन आदेश जारी करेगा । (ख) ऐसे मामलों में जहां प्ररूप जीएसटी एसपीएल-03 में सूचना जारी की गई है समुचित अधिकारी प्ररूप जीएसटी एसपीएल-04 में आवेदक के उत्तर की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर या जहां आवेदक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है प्ररूप जीएसटी एसपीएल-03 में सूचना के जारी होने की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर उपनियम (10) या उपनियम (12) में आदेश जारी करेगा । स्पष्टीकरण – इस उपनियम के प्रयोजन के लिए उपनियम (7) के परंतुक में निर्दिष्ट मामलों में, यथास्थिति अपील या रिट के प्रत्याहरण के लिए आदेश को प्रस्तुत करने की तारीख तक उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन आवेदन के फाइल करने की तारीख से समयावधि को इस उपनियम के खंड (क) या खंड (ख) समयावधि की गणना करते समय सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

		(14). यदि उपनियम (13) में विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर समुचित अधिकारी के द्वारा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, तब यथास्थिति, प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01 या प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 में आवेदन को स्वीकृत हुआ समझा जाएगा और कार्यवाही पूर्ण हुई मानी जाएगी । (15). (क) ऐसे मामलों में जहां धारा 107 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्ररूप जीएसटी एसपीएल-07 में आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की गई है, धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में उल्लिखित आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा फाइल की गई और धारा 128क की उपधारा (3) के अनुसार प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 में आवेदन फाइल करने के लिए वापस ली गई मूल अपील, यदि कोई हो, को प्रत्यावर्तित किया जाएगा। (ख) ऐसे मामलों में जहां ब्याज, या शास्ति, या दोनों के अधित्यजन हेतु आवेदन को अस्वीकार करने के लिए आदेश के विरूद्ध प्ररूप जीएसटी एसपीएल-07 में अपील दाखिल की जाती है, यदि- (i) अपील प्राधिकारी ने यह निर्णय दिया है कि समुचित अधिकारी ने प्ररूप जीएसटी एसपीएल-07 में ब्याज, या शास्ति, या दोनों के अधित्यजन के लिए आवेदन को गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया है, उक्त अपील प्राधिकारी उक्त आवेदन को स्वीकार करते हुए और धारा 128क के अधीन कार्यवाही को समाप्त करते हुए सामान्य पोर्टल पर प्ररूप जीएसटी एसपीएल-06 में आदेश पारित करेगा; या (ii) अपील प्राधिकारी ने यह निर्णय दिया है कि समुचित अधिकारी ने प्ररूप जीएसटी एसपीएल-07 में ब्याज, या शास्ति, या दोनों के अधित्यजन के लिए आवेदन को सही तरीके से अस्वीकार कर दिया है, धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में उल्लिखित आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा दाखिल और धारा 128क की उपधारा (3) के अनुसार प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 में आवेदन दाखिल करने के लिए वापस ली गयी मूल अपील, यदि कोई हो, इस शर्त के अध्यधीन प्रत्यावर्तित की जाएगी कि आवेदक प्ररूप जीएसटी एपीएल-04 में अपील प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी

		करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर प्ररूप जीएसटी एसपीएल-08 में पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक वचनबंध दाखिल करता है, कि उसने अपील प्राधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध न तो कोई अपील दाखिल की है और न ही दाखिल करने को आशायित है। (16) ऐसे मामलों में जहां करदाता से धारा 128क की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अनुसार कर देयता की अतिरिक्त रकम का संदाय करना अपेक्षित है और ऐसा अतिरिक्त संदाय उक्त परंतुक में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर नहीं किया जाता है, वहां प्ररूप जीएसटी एसपीएल-05 या प्ररूप जीएसटी एसपीएल-06 में जारी आदेश के अनुसार उक्त धारा के अधीन ब्याज या शास्ति या दोनों का अधित्यजन, यदि कोई हो, शून्य हो जाएगा। (17) ऐसे मामलों में जहां करदाता से त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय से संबंधित किसी मांग के संबंध में या धारा 128क की उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि से भिन्न अवधि से संबंधित मांग के कारण ब्याज, या शास्ति, या दोनों की कोई रकम का संदाय करना अपेक्षित है और ऐसी रकम का विवरण प्ररूप जीएसटी एसपीएल-05 या प्ररूप जीएसटी एसपीएल-06 में उल्लिखित किया गया है, आवेदक, यथास्थिति,प्ररूप जीएसटी एसपीएल-05 या प्ररूप जीएसटी एसपीएल-06 में आदेश जारी करने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर ब्याज, या शास्ति, या दोनों की उक्त रकम का संदाय करेगा, और जहां उक्त रकम उक्त समयावधि के भीतर संदत्त नहीं की जाती है, प्ररूप जीएसटी एसपीएल-05 या प्ररूप जीएसटी एसपीएल-06 में जारी आदेश के अनुसार धारा 128क के अधीन ब्याज, या शास्ति, या दोनों का अधित्यजन शून्य हो जाएगा। स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, इस नियम के अधीन आदेश जारी करने के लिए समुचित अधिकारी,- (क) ऐसे मामलों में जहां ब्याज, या शास्ति, या दोनों के अधित्यजन के लिए आवेदन धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (क) में उल्लिखित नोटिस या कथन के संबंध में किया जाता है, धारा 73 के अनुसार आदेश जारी करने के लिए समुचित अधिकारी होगा; और

		(ख) ऐसे मामलों में जहां ब्याज, या शास्ति, या दोनों के अधित्यजन के लिए आवेदन धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में उल्लिखित आदेश के संबंध में किया जाता है, अधिनियम की धारा 79 में निर्दिष्ट समुचित अधिकारी होगा।"
प्ररूप जीएसटी आरईजी-20 का संशोधन	15.	उक्त नियमावली में, प्ररूप जीएसटी आरईजी-20 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रख दिया जाएगा, अर्थात्: - **"प्ररूप जीएसटी आरईजी-20** [नियम 22(4) देखें] संदर्भ संख्या- जेडए260821000033ए तारीख: दिन/माह/वर्ष सेवा में, <करदाता का नाम> <करदाता का पता> जीएसटीआईएन/यूआईएन: <जीएसटीआईएनसंख्या> कारण बताओ नोटिस संख्या: <एससीएनसंख्या> तारीख: दिन/माह/वर्ष **रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की कार्यवाही बंद करने का आदेश** इसका संदर्भ ऊपर निर्दिष्ट कारण बताओ नोटिस के उत्तर में एआरएन ---------- तारीख --------- द्वारा दाखिल आपके उत्तर से है। आपके उत्तर और/या सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करने के पश्चात, रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए प्रारंभ की गई कार्यवाही निम्नलिखित कारणों से निरस्त मानी जाती है: <<टेकस्ट>> **या** यह उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) के नियम 10क के उपबंधों के उल्लंघन के लिए संदर्भ संख्या

		<एससीएनसंख्या>तारीखदिन/माह/वर्ष के द्वारा आरईजी-31 में जारी किए गए नोटिस के संदर्भ में है। चूंकि आपने प्रणाली में सामान्य पोर्टल पर बैंक खाते का विधिमान्य विवरण प्रस्तुत किया है, इसलिए रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए प्रारंभ की गई कार्यवाही समाप्त की जाती है। या यह उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 29 की उप-धारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के उपबंधों के उल्लंघन के लिए संदर्भ संख्या <एससीएन संख्या>तारीखदिन/माह/वर्षके द्वारा आरईजी-31 में जारी किए गए नोटिस के संदर्भ में है। चूंकि आपने पूर्वोक्त नोटिस जारी होने की तारीख को देय सभी लंबित विवरणी दाखिल कर दी हैं, तथा स्व-निर्धारित कर का संदाय कर दिया है, इसलिए रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए प्रारंभ की गई कार्यवाही समाप्त की जाती है। रजिस्ट्रीकरण का निलंबन तारीख/माह/वर्ष से वापस लिया जाता है। हस्ताक्षर <अधिकारी का नाम> पदनाम अधिकारिता स्थान: तारीख:".
प्ररूप जीएसटी आरईजी-31 का संशोधन	16.	उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटी आरईजी-31 में, पैरा6 के पश्चात्, निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्: - "या नियम 10क के उल्लंघन के कारण निलंबन 1. यह देखा गया है कि नियम 10क के उपबंधों के अनुसार, आपसे रजिस्ट्रीकरण

		प्रदान किए जाने से तीस दिनों के भीतर बैंक खाते का विवरण देना अपेक्षित है, आपने रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर बैंक खाते का विधिमान्य विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। 2. विसंगति या विषमता प्रथम दृष्टया उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों का उल्लंघन उपदर्शित करती हैं, यदि संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं किया जाता है, तो आपका रजिस्ट्रीकरण रद्द किये जाने का दायी होगा। 3. यह विचार करते हुए कि उपरोक्त विसंगति या विषमता गंभीर हैं और राजस्व हित के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती हैं, तत्काल उपाय के रूप में, नियम 21क के निबंधनों में, इस संसूचना की तारीख से आपका रजिस्ट्रीकरण निलंबित किया जाता है। 4. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि आप सामान्य पोर्टल पर बैंक खाते का विधिमान्य विवरण प्रस्तुत करें या इस नोटिस की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर अधिकारिता रखने वाले कर अधिकारी को उत्तर प्रस्तुत करें, जिसमें उपरोक्त कथित विसंगति या विषमता या उल्लंघन का स्पष्टीकरण दिया गया हो। जीएसटी सामान्य पोर्टल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह से आपके प्रत्यय पत्र का कोई भी संभावित दुरुपयोग भी विनिर्दिष्ट रूप से अधिकारिता वाले अधिकारी के ध्यान में लाया जा सकता है। 5. आपके द्वारा नियत समय के भीतर सामान्य पोर्टल पर बैंक खाते का विधिमान्य विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात रजिस्ट्रीकरण का निलंबन हटा लिया जाएगा। 6. कृपया ध्यान दें कि यदि आप नियत समय के भीतर सामान्य पोर्टल पर बैंक खाते का विधिमान्य विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या नियत समय के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं तो आपका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता है। अथवा 1. यह देखा गया है कि नियम 10क के उपबंधों के अनुसार, आपसे रजिस्ट्रीकरण प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है। आपके द्वारा प्रस्तुत बैंक खाते के विवरण की जानकारी बैंक के पास उपलब्ध विवरण से मेल नहीं खा रही है। 2. ये विसंगति या विषमताएं प्रथम दृष्टया उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम,

		2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों का उल्लंघन उपदर्शित करती हैं, यदि संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं किया जाता है, तो आपका रजिस्ट्रीकरण रद्द किये जाने का दायी होगा। 3. यह विचार करते हुए कि उपरोक्त विसंगति या विषमता गंभीर हैं और राजस्व हित के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती हैं, तत्काल उपाय के रूप में, नियम 21क के निबंधनों में, इस संसूचना की तारीख से आपका रजिस्ट्रीकरण निलंबित किया जाता है। 4. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि आप सामान्य पोर्टल पर बैंक खाते का विधिमान्य विवरण प्रस्तुत करें या इस नोटिस की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर अधिकारिता रखने वाले कर अधिकारी को उत्तर प्रस्तुत करें, जिसमें उपरोक्त कथित विसंगति या विषमता या उल्लंघन का स्पष्टीकरण दिया गया हो। जीएसटी सामान्य पोर्टल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह से आपके प्रत्यय पत्र का कोई भी संभावित दुरुपयोग भी विनिर्दिष्ट रूप से अधिकारिता वाले अधिकारी के ध्यान में लाया जा सकता है। 5. नियत समय के भीतर सामान्य पोर्टल पर बैंक खाते का विधिमान्य विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात रजिस्ट्रीकरण का निलंबन हटा लिया जाएगा। 6. कृपया ध्यान दें कि यदि आप नियत समय के भीतर सामान्य पोर्टल पर बैंक खाते का विधिमान्य विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या नियत समय के भीतर उत्तर देने में विफल रहते हैं तो आपका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता है। **अथवा** **नियम 21 के उल्लंघन के कारण निलंबन** 1. यह देखा गया है कि नियम 21 के खंड (ज) या खंड (झ) के उपबंधों के अनुसार, आपसे धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी दाखिल करना अपेक्षित है, आपने लगातार छह महीने या लगातार दो तिमाहियों तक विवरणी दाखिल नहीं की है। 2. ये विसंगति या विषमता प्रथम दृष्टया उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों का उल्लंघन उपदर्शित करती हैं, यदि इनका संतोषजनक

		स्पष्टीकरण नहीं किया गया तो आपका रजिस्ट्रीकरण रद्द किये जाने का दायी होगा। 3. यह विचार करते हुए कि उपरोक्त विसंगति या विषमता गंभीर हैं और राजस्व हित के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती हैं, तत्काल उपाय के रूप में, नियम 21क के उपनियम (2क) के निबंधनों में, इस संसूचना की तारीख से आपका रजिस्ट्रीकरण निलंबित किया जाता है। 4. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि आप सामान्य पोर्टल पर धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी दाखिल करें या इस नोटिस की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर अधिकारिता रखने वाले कर अधिकारी को उत्तर प्रस्तुत करें, जिसमें उपरोक्त कथित विसंगति या विषमता या उल्लंघन का स्पष्टीकरण दिया गया हो। जीएसटी सामान्य पोर्टल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह से आपके प्रत्यय पत्र का कोई संभावित दुरुपयोग भी विनिर्दिष्ट रूप से अधिकारिता वाले अधिकारी के ध्यान में लाया जा सकता है। 5. सामान्य पोर्टल पर धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी दाखिल करने के पश्चात रजिस्ट्रीकरण का निलंबन हटा लिया जाएगा। 6. कृपया ध्यान दें कि यदि आप नियत तारीख के भीतर सामान्य पोर्टल पर धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी दाखिल करने में विफल रहते हैं या नियत समय के भीतर उत्तर देने में विफल रहते हैं तो आपका रजिस्ट्रीकरण रद्द किया जा सकता है।
प्ररूप जीएसटीआर-9 का संशोधन	17.	उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटीआर-9 की सारणी के भाग III की क्रम संख्या 8 में, क्रम संख्या क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ रख दी जाएंगी, अर्थात्: - <table><tr><td>"क</td><td>जीएसटीआर-2ख के अनुसार आईटीसी (उसकी सारणी 3)</td><td><स्वत:></td><td><स्वत:></td><td><स्वत:></td><td><स्वत:> "।</td></tr></table>
प्ररूप जीएसटी एपीएल-01 का संशोधन	18.	उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटी एपीएल-01 में 1 नवंबर, 2024 से,- (क) प्रविष्टि संख्या 15 में,- (i) खंड (क) की सारणी के "विशिष्टियां" से संबंधित पहले स्तंभ में, "पूर्व-निक्षेप" से संबंधित मद (ख) में, कोष्ठक, अक्षर, शब्द और अंक "(ख) पूर्व-

		निक्षेप (विवादित कर/उपकर का 10% परन्तु सीजीएसटी, एसजीएसटी या उपकर प्रत्येक के संबंध में 25 करोड़ रुपये से अनधिक या आईजीएसटी के संबंध में 50 करोड़ रुपये और उपकर के संबंध में 25 करोड़ रुपये से अनधिक)" के स्थान पर कोष्ठक, अक्षर, शब्द और अंक "(ख) पूर्व-निक्षेप (विवादित कर/उपकर का 10% परन्तु सीजीएसटी, एसजीएसटी, उपकर प्रत्येक के संबंध में 20 करोड़ रुपये से अनधिक और आईजीएसटी के संबंध में 40 करोड़ रुपये से अनधिक)" रख दिए जाएंगे; (ii) खंड (ख) के आरंभिक भाग में, कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर "(विवादित कर और उपकर का 10% पूर्व-निक्षेप, परन्तु सीजीएसटी, एसजीएसटी या उपकर प्रत्येक के संबंध में 25 करोड़ रुपये से अनधिक या आईजीएसटी के संबंध में 50 करोड़ रुपये और उपकर के संबंध में 25 करोड़ रुपये से अनधिक)" के स्थान पर, कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर "(विवादित कर और उपकर का 10% पूर्व-निक्षेप, परन्तु सीजीएसटी, एसजीएसटी, उपकर प्रत्येक के संबंध में 20 करोड़ रुपये से अनधिक और आईजीएसटी के संबंध में 40 करोड़ रुपये से अनधिक)" रख दिए जाएंगे।
प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 का संशोधन	19.	उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटी एपीएल-05 में 1 नवंबर, 2024 से,– (क) प्रविष्टि संख्या 14 में,– (i) सारणी के खंड (क) के "विशिष्टियां" से संबंधित पहलेस्तंभ में, "पूर्व-जमा" से संबंधित मद (ख) में, कोष्ठक, अक्षर, शब्द और अंक "(ख) पूर्व-निक्षेप (विवादित कर/उपकर का 20% परन्तु सीजीएसटी, एसजीएसटी या उपकर के संबंध में प्रत्येक 50 करोड़ रुपये से अनधिक या आईजीएसटी के संबंध में 100 करोड़ रुपये और उपकर के संबंध में 50 करोड़ रुपये से अनधिक)" के स्थान पर, कोष्ठक, अक्षर, शब्द और अंक "(ख) पूर्व-निक्षेप (विवादित कर/उपकर का 10% परन्तु सीजीएसटी, एसजीएसटी, उपकर के संबंध में प्रत्येक 20 करोड़ रुपये से अनधिक और आईजीएसटी के संबंध में 40 करोड़ रुपये से अनधिक)" रख दिए जाएंगे; (ii) खंड (ख) के आरंभिक भाग के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया

		जाएगा, अर्थात्:- "(ख) स्वीकृत रकम के संदाय और विवादित कर और उपकर के 10% की पूर्व निक्षेप, परन्तु सीजीएसटी, एसजीएसटी, उपकर के संबंध में प्रत्येक 20 करोड़ रुपये से अनधिक और आईजीएसटी के संबंध में 40 करोड़ रुपये से अनधिक ।"।
प्ररूप जीएसटी आईएनएस-01 का संशोधन	20.	उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटी आईएनएस-01 के पैरा (ग) में, शब्द और अंक "भारतीय दंड संहिता की धारा 179, 181, 191 और 418" के स्थान पर, शब्द, अंक और कोष्ठक "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 214, 216, 227 और धारा 318 की उपधारा (3)" रख दिए जाएंगे।
प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क का संशोधन	21.	उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01क में, 1 नवंबर, 2024 से, — (क) शीर्षक में, अंक और कोष्ठक "73(5)/74(5)" के पश्चात अंक, अक्षर और कोष्ठक "/74क (8)/74क (9)" बढ़ा दिए जाएंगे। (ख) भाग क में, — (i) विषय वस्तु में, शब्द, अंक और कोष्ठक "धारा 73(5)/धारा 74(5)" के पश्चात अंक, अक्षर और कोष्ठक "/74क(8)/74क(9)" बढ़ा दिए जाएंगे; (ii) पहले पैरा में, शब्द, अंक और कोष्ठक "धारा 73(5)/74(5) के अधीन" के पश्चात अंक, अक्षर और कोष्ठक "/74क (8)/74क(9)" बढ़ा दिए जाएंगे। (iii) चौथे पैरा के पश्चात्, निम्नलिखित बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्: — "या आपको एतद्द्वारा ऊपर अभिनिश्चित कर की रकम का लागू ब्याज और शास्ति की रकम के साथ पूर्ण संदाय तारीख ..... तक करने की सलाह दी जाती है, ऐसा करने में विफल होने पर धारा 74क की उपधारा (5) के खंड (i) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कारण

		बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। या आपको ऊपर अभिनिश्चत कर की रकम का लागू ब्याज और शास्ति की रकम के साथ पूर्ण संदाय तारीख .... तक करने की सलाह दी जाती है, ऐसा करने में विफल होने पर धारा 74कक्की उपधारा (5) के खंड (ii) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा ।"। (ग) भाग ख में, पहले पैरा में, शब्द, अंक और कोष्ठक "धारा 73(5)/74(5) के अधीन" के पश्चात, अंक, अक्षर और कोष्ठक 74क(8)/74क(9)" बढ़ा दिए जाएंगे।
प्ररूप जीएसटी एसपीएल 01, जीएसटी एसपीएल 02, जीएसटी एसपीएल 03, जीएसटी एसपीएल 04, जीएसटी एसपीएल 05, जीएसटी एसपीएल 06, जीएसटी एसपीएल 07 और जीएसटी एसपीएल 08 का बढ़ाया जाना	22.	उक्त नियमावली में, प्ररूप एसबीवाई-06 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप 1 नवंबर, 2024 से बढ़ा दिए जाएंगे, अर्थात् :- 'प्ररूप जीएसटी एसपीएल –01 [नियम *164(1)देखिए*] धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (क) में उल्लिखित सूचना या कथन के संबंध में उक्त धारा के अधीन ब्याज या शास्ति या दोनों के अधित्यजन के लिए आवेदन संदर्भ सं0 ..... तारीख : ..... सारणी 1

क्रमसंख्या	विशिष्टियां		
1	क	जीएसटीआईएन/ अस्थायी आईडी /यूआईएन	
	ख	कारबार का विधिक नाम (जैसा पीएएन नंबर में उल्लिखित है)	

	ग	मोबाइल नंबर		
	घ	ईमेल पता		
	ङ	पता		
	च	अधिकारिता		

सारणी 2

2	क्रम संख्या	सूचना के ब्यौरे	
	1	सूचना / कथन संख्या	
	2	सूचना/ कथन जारी करने की तारीख	
	3	धारा, जिसके अधीन सूचना/ कथन जारी किया गया है	ड्रॉप डाउन
	4	क्या सूचना/ कथन के विरुद्ध उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई रिट याचिका फाइल की गई है	ड्रॉप डाउन
	5	यदि '4' में हां है, क्या रिट याचिका वापस लेने का आदेश जारी किया गया है?	ड्रॉप डाउन
	6	क्या सूचना/कथन में त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय की मांग सम्मिलित है	ड्रॉप डाउन

सारणी 3 (रकम रुपए में)

3	वित्तीय वर्ष	सूचना/कथन में मांग की गई रकम (क)							(क) में उल्लिखित रकम में से, केवल आईटीसी से संबंधित मांग, जिसे केवल धारा 16(4) के उल्लंघन के कारण अस्वीकार किया गया है, न कि किसी अन्य आधार पर, और जो अब धारा 16(5) या धारा 16(6), के अनुसार पात्र हो गई है। (ख)				
		आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर	ब्याज	शास्ति	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	योग												

सारणी 4

4	डीआरसी -03 के द्वारा संदत्त रकम					
	भुगतान संदर्भ सं0	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर
	1	2	3	4	5	6
		<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>
		<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>
	योग	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>	<स्वत:>

सारणी 5

5	<u>घोषणा:</u> 1. मैं वचन देता हूँ कि मैंने उक्त सूचना/कथन के विरुद्ध कोई रिट याचिका दाखिल नहीं की है। या

	मैं वचन देता हूँ कि यद्यपि मैंने उक्त सूचना/कथन के विरुद्ध रिट याचिका दाखिल की थी, मैंने उक्त रिट याचिका वापस ले ली है या उसे वापस लेने के लिए आवेदन दाखिल किया है तथा इस आवेदन के साथ वापसी आदेश या वापसी के लिए दायर आवेदन की प्रति संलग्न की है। **2.** अग्रतर, मैं समझता हूँ और सहमत हूँ कि धारा **128**क के अधीन जारी, मांग कार्यवाही को समाप्त करने वाले आदेश के विरुद्ध भविष्य में किसी भी फोरम में कोई अपील दाखिल नहीं की जाएगी। **3.** मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी सटीक और सत्य है। मैं समझता हूँ कि किसी भी गलत घोषणा या तथ्यों को छिपाने से यह आवेदन शून्य हो जाएगा और लागू ब्याज और शास्ति के साथ बकाया देयों के लिए वसूली कार्यवाही हो सकती है।

सारणी 6

6	<u>सत्यापन:</u> मैं _____ (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम), घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है । मैं समझता हूँ कि किसी भी गलत घोषणा या तथ्यों को छिपाने से मेरा आवेदन शून्य हो जाएगा और धारा **128**क के अधीन समस्त लाभ वापस ले लिए जाएँगे ।

सारणी 7

7	अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करें	
	सूचना/कथन की स्वप्रमाणित प्रति	
	प्ररूप जीएसटी डीआरसी 03 के माध्यम से किए गए संदाय का प्रमाण	
	रिट याचिका वापस लेने या रिट याचिका वापस लेने के लिए दाखिल आवेदन का प्रमाण (यदि वापसी का आदेश जारी नहीं किया गया है) (जहां लागू हो)	

		कोई अन्य दस्तावेज (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
		प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर नाम/पदनाम ईमेल पता मोबाइल नंबर **अनुदेश:** 1. सारणी 2 की प्रविष्टि 1 से 6 में, आवेदक को उस सूचना/कथन का विवरण भरना होगा, जिसके विरुद्ध धारा 128क के अधीन आवेदन किया गया है । 2. यदि सूचना/कथन सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध है, तो उसका आवेदन संदर्भ संख्या भरना होगा । यदि पोर्टल पर वह उपलब्ध नहीं है, तो मैन्युअल रूप से जारी की गई सूचना/कथन की संदर्भ संख्या भरनी होगी । 3. सारणी 2 की प्रविष्टि 3 में, यदि सूचना/कथन प्रथम दृष्टया धारा 73 के अधीन जारी किया गया है, तो आवेदक को ड्रॉपडाउन से 'धारा 73' विकल्प चुनना होगा, तथा यदि सूचना प्रारंभ में धारा 74 के अधीन जारी की गई थी और बाद में धारा 75(2) के अनुसार अपील प्राधिकारी/अपील अधिकरण या न्यायालय के आदेश के आधार पर धारा 73 के अधीन जारी मानी गई थी, तो उसे 'धारा 75(2) के साथ पठित धारा 74' विकल्प चुनना होगा । 4. सारणी 3क में, यदि सूचना/कथन सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध है तो स्तंभ 2 से स्तंभ 8 स्वत: भरे जाएंगे । यदि यह पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, तो इसका विवरण आवेदक द्वारा

मैन्युअल रूप से भरा जाना है ।

5. धारा 16 की उपधारा (5) या उपधारा (6) के अनुसार संदेय न होने के कारण कटौती योग्य राशि की गणना, धारा 73 के अधीन, सूचना या कथन या आदेश के निबंधन में, यथास्थिति संदेय रकम से करते समय, आवेदक को यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि ऐसी रकम केवल वहीं काटी जाए, जहां इनपुट कर प्रत्यय को केवल धारा 16(4) के उल्लंघन के कारण अस्वीकार किया गया हो, और न कि किसी अन्य आधार पर ।

प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02

[नियम 164(2) देखें]

धारा 128क की उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में उल्लिखित आदेश के संबंध में, उक्त धारा के अधीन ब्याज या शास्ति या दोनों के अधित्यजन के लिए आवेदन

संदर्भ संख्या:

सारणी 1

क्रम संख्या	विशिष्टियां		टिप्पणियां
1	क	जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी/यूआईएन	
	ख	कारबार का विधिक नाम(जैसा कि पीएएन संख्या में उल्लिखित है)	<स्वतः>
	ग	मोबाइल नंबर	<स्वतः>
	घ	ईमेल पता	<स्वतः>
	ड	पता	<स्वतः>
	च	अधिकारिता	<स्वतः>

सारणी 2

2.	क्रम संख्या	मांग आदेश के ब्यौरे	
	1	मांग आदेश संख्या	
	2	आदेश जारी करने की तारीख	
	3	धारा जिसके अधीन आदेश जारी किया गया है	ड्रॉप डाउन
	4	क्या अपील प्राधिकारी/ अपील अधिकरण /उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के समक्ष आदेश के विरुद्ध कोई अपील या रिट याचिका फाइल की गई है	ड्रॉप डाउन
	5	यदि' 4 'में हाँ, क्या अपील या रिट याचिका वापस लेने का आदेश जारी किया गया है?	ड्रॉप डाउन
	6	क्या मांग आदेश में त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय की मांग सम्मिलित है	ड्रॉप डाउन

सारणी 3

(रकम रु. में)

3	वित्तीय वर्ष	आदेश में मांगी गई रकम(क)							(क) में उल्लिखित रकम में से केवल आईटीसी से संबंधित मांग ,जिसे केवल धारा16 (4) के उल्लंघन के कारण अस्वीकार किया गया है, न कि किसी अन्य आधार पर , और जो अब धारा16 (5) या धारा16 (6) के अनुसार पात्र हो गई है। (ख)				
		आईजीएस	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर	ब्याज	शास्ति	आईजीएस	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर

		टी				स हि त कु ल क र			टी				स हि त कु ल क र
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	कुल												

सारणी 4

4	सारणी 3 में उल्लिखित मांग आदेश के विरुद्ध भुगतान सुविधा के माध्यम से संदत्त रकम [जिनमें प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से संदत्त रकम और बाद में प्ररूप जीएसटी डीआरसी03 – क में आवेदन फाइल करने के माध्यम से समायोजित की गई रकम सम्मिलित करते हुए]							
	प्रत्यय प्रविष्टि संदर्भ सं.	प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 का संदर्भ संख्या (जहां लागू हो)	प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03क का संदर्भ संख्या (जहां लागू हो)	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर
	1	2	3	4	5	6	7	8
				<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>
				<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>
	कुल			<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>	<स्वतः>

सारणी 5

5	<u>घोषणाः</u> 1. मैं वचन देता हूँ कि मैंने उक्त आदेश के विरुद्ध कोई अपील या रिट याचिका दाखिल नहीं की है। या मैं वचन देता हूँ कि यद्यपि मैंने उक्त आदेश के विरुद्ध अपील/रिट याचिका दाखिल की थी ,मैंने उक्त अपील/रिट याचिका वापस ले ली है (अथवा) मैंने उसे वापस लेने के लिए आवेदन फाइल किया है तथा इस आवेदन के साथ वापसी आदेश या वापसी के लिए फाइल आवेदन की प्रति संलग्न की है । 2. अग्रतर, मैं समझता हूं और सहमत हूं कि भविष्य में किसी भी फोरम में धारा128 क के अधीन जारी मांग कार्यवाही को समाप्त करने वाले आदेश के विरुद्ध कोई अपील दाखिल नहीं की जाएगी। 3. मैं यह भी वचन देता हूं कि धारा128 क के अधीन जारी मांग कार्यवाही को समाप्त करने वाले आदेश के जारी होने पर ,इस प्ररूप की सारणी 2 में उल्लिखित आदेश के विरुद्ध कोई रिट दाखिल नहीं की जाएगी। 4. यदि सारणी 2 में उल्लिखित आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा कोई आवेदन दाखिल किया जाता है/ दाखिल किया गया है या यदि उक्त आदेश के विरुद्ध धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन कोई कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ,और अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय या पुनरीक्षण प्राधिकरण ,जैसा भी मामला हो ,मेरे कर दायित्व को बढ़ाने वाला आदेश जारी करता है ,तो मैं धारा128 क की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अनुसार , अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय या पुनरीक्षण प्राधिकरण ,जैसा भी मामला हो ,के उक्त आदेश की तारीख से तीन माह के भीतर संदेय कर की अतिरिक्त रकम का संदाय करने का वचन देता हूं। 5. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सही और सत्य हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी गलत घोषणा या तथ्यों को छिपाने से यह आवेदन शून्य हो जाएगा और बकाया देय की लागू ब्याज और शास्ति के साथ वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

सारणी 6

6	सत्यापन: मैं_____ (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम), एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है। मैं समझता हूँ कि किसी भी गलत घोषणा या तथ्यों को छिपाने से यह आवेदन शून्य हो जाएगा और धारा 128क के अधीन दिए गए लाभ विधिमान्य नहीं होंगे।

सारणी 7

7	आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें	
	आदेश की स्व प्रमाणित प्रति	
	अपील/रिट याचिका वापस लेने का प्रमाण या अपील/रिट याचिका वापस लेने के लिए दाखिल आवेदन (यदि वापसी का आदेश जारी नहीं किया गया है) (जहां लागू हो)	
	प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से मांग/संदत्त और प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03क के माध्यम से समायोजित संदाय का प्रमाण।	
	कोई अन्य दस्तावेज़ (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर
नाम/पदनाम.....
ई-मेल पता.....।
मोबाइल संख्या.....।

<u>अनुदेश :</u>

1. सारणी 2 के स्तंभ 1 से 6 में, उस आदेश का विवरण जिसके विरुद्ध धारा 128क के अधीन आवेदन फाइल किया गया है, आवेदक द्वारा भरा जाना आवश्यक है।

2. यदि आदेश सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध है, तो उसका एआरएन संख्या भरना आवश्यक है। यदि वह पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है,

		तो मैन्युअल रूप से जारी किए गए आदेश का आदेश संख्या भरना होगा। 3. सारणी 3 में, स्तंभ 2 से 8 स्वतः भरे जाएंगे, यदि आदेश सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध है। यदि यह पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक को इसका विवरण मैन्युअल रूप से भरना होगा। 4. इसी तरह, प्रत्यय प्रविष्टि (ईएलआर- भाग II में की गई) की संदर्भ संख्या सारणी 4 के स्तंभ 1 में भरी जानी आवश्यक है। यदि उक्त मांग आदेश के लिए किया जाने वाला संदाय मूल रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से किया गया था, और बाद में प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03क में आवेदन फाइल करके समायोजित किया गया था, तो उसी के संदर्भ संख्या स्तंभ 2 और 3 में भरी जानी है, और शेष स्तंभ स्वतः भर दिए जाएंगे। 5. धारा 73 के अधीन नोटिस या कथन या आदेश के निबंधनों में संदेय रकम से धारा 16 की उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के अनुसार संदेय न होने के कारण कटौती योग्य रकम की गणना करते समय, जैसा भी मामला हो, आवेदक को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ऐसी रकम केवल तभी काटी जाए जब आईटीसी को केवल धारा 16(4) के उल्लंघन के कारण अस्वीकार कर दिया गया हो, न कि किसी अन्य आधार पर। **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-03** धारा 128क के अधीन फाइल किए गए आवेदन के उत्तर में नोटिस *[नियम 164(8) देखें]* तारीख: संदर्भ सं. सेवा में, आवेदक का जीएसटीआईएन .....

आवेदक का विधिक नाम .....

आवेदक का पता .....

प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01 या प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 का संदर्भ सं. ..... तारीख.....

विषय :धारा 128क के अधीन फाइल किए गए आवेदन के उत्तर में नोटिस-के संबंध में

1. चूंकि, आपने धारा 128क के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें आपने अपनी बकाया देय घोषित की है और ब्याज और शास्ति का अधित्यजन, प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01/प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 में संदर्भ संख्या .....तारीख ..... में मांगा है ।

2. आपके आवेदन और उसमें दिए गए विवरण के सत्यापन के पश्चात, आपका आवेदन निम्नलिखित कारणों से अस्वीकार किये जाने का दायी है:-

- [कारण 1]

- [कारण 2]

अथवा /और

इस संदर्भ में ,ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा नीचे दी गई कर की रकम कम संदत्त की गई है :

मांग विवरण (क)	प्ररूप जीएसटी डीआरसी 03 (नोटिस/कथन के मामले में) के माध्यम से मांग का भुगतान या आदेश के मामले में इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर	(क) में उल्लिखित रकम में से ,केवल आईटीसी से संबंधित मांग ,जिसे केवल धारा 16(4) के उल्लंघन के कारण अस्वीकार किया गया है ,किसी अन्य आधार पर नहीं ,और	मांग कम संदत्त

		संदत्त करके मांग का भुगतान का विवरण											जो अब धारा16 (5) या धारा16 (6) ,यदि कोई हो ,के अनुसार पात्र हो गई है।									
नोटिस आईडी / आदेश आईडी नं.	वित्तीय अवधि	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	उपकर	उपकर सहित कुल कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	ड्रॉप डाउन																				
	ड्रॉप डाउन																				

3. एतद्द्वारा आपसे अपने दावे के समर्थन में प्ररूप जीएसटी एसपीएल-04 में आवश्यक दस्तावेजों के साथ कारण बताने की अपेक्षा की जाती है कि आपका आवेदन संख्या .....तारीख ..... को क्यों न अस्वीकार कर दिया जाए।

4. आपको [स्थान.....] पर [तारीख और समय.....] को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया जाता है । आप अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हो

		सकते हैं। [हस्ताक्षर] [कर अधिकारी का नाम] [पदनाम] [अधिकारिता] [पता] *संलग्नक अपलोड करें* **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-04** [नियम 164(9) देखें] **<u>नियम 164(8) के अधीन जारी नोटिस का उत्तर</u>** तारीख. : संदर्भ संख्या : सेवा में, समुचित अधिकारी ..... अधिकारिता ..... आवेदक का विधिक नाम आवेदक का पता ..... प्ररूप जीएसटी एसपीएल-03 की संदर्भ संख्या: ..... तारीख.... **विषय : धारा 128क के अधीन फाइल आवेदन के संबंध में जारी नोटिस का उत्तर।** महोदय/महोदया, यह आपके कार्यालय से सं. ..... तारीख..... द्वारा प्ररूप जीएसटी एसपीएल-03 में जारी नोटिस के संदर्भ में है।

		उत्तर निम्नानुसार है : संलग्नक: संदाय प्रमाण या अतिरिक्त प्रस्तुतियों के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज आपके संदर्भ के लिए संलग्न हैं : • दस्तावेज़ 1: [करदाता दस्तावेज़ 1] • दस्तावेज़ 2: [करदाता दस्तावेज़ 2] • दस्तावेज़ 3: [करदाता दस्तावेज़ 3] सत्यापन : मैं _____ एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि यहां दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है। [प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर] [प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम] [पदनाम/प्रास्थिति] [तारीख] **प्ररूप जीएसटी एसपीएल-05** [नियम 164 (10) देखें] **धारा 128क के अनुसार कार्यवाही के समापन के लिए आदेश**

संदर्भ सं. .....

तारीख :

सेवा में,

आवेदक का जीएसटीआईएन .....

आवेदक का विधिक नाम .....

आवेदक का पता .....

संदर्भ सं. : प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01/ प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 ..... तारीख .....

विषय : धारा 128क के अधीन प्रस्तुत आवेदन के अनुमोदन के लिए आदेश

धारा 128क के अधीन ब्याज या शास्ति या दोनों की छूट का लाभ उठाने के लिए आपके अनुरोध के समर्थन में विवरण/जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए यह संदर्भ संख्या ..... तारीख ..... के साथ आपके आवेदन के संदर्भ में है।

या

धारा 128क के अधीन ब्याज या शास्ति या दोनों के अधित्यजन का लाभ उठाने के लिए आपके अनुरोध के समर्थन में विवरण/जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए यह संदर्भ संख्या ..... तारीख ..... के साथ आपके आवेदन और संदर्भ संख्या ..... के साथ प्ररूप जीएसटी एसपीएल-04 में आपके उत्तर के संबंध में है।

2. आपके आवेदन में दिए गए विवरण और उत्तर के सत्यापन पर, जहां लागू हो, ब्याज या शास्ति या दोनों का अधित्यजन धारा 128क के अधीन निम्नानुसार अनुज्ञेय है:

3. मांग सूचना/मांग आदेश विवरण:

क. आदेश संख्या /नोटिस संख्या

ख. आदेश/नोटिस की तारीख :

		वित्तीय वर्ष	नोटिस / कथन / आदेश में मांगी गई रकम जिसके विरुद्ध धारा 128क के अधीन आवेदन दायर किया गया था (रु)	(रु) में से निम्नलिखित रकम में से, केवल आईटीसी से संबंधित मांग जिसे केवल धारा 16(4) के उल्लंघन के कारण अस्वीकार कर दिया गया है, किसी अन्य आधार पर, और जो अन्य धारा 16(5) या धारा 16(	उक्त नोटिस / विवरण / आदेश के लिए पहले से संदत्त रकम	धारा 128क के अनुसार अधित्यजित ब्याज और शास्ति	आवेदक द्वारा देय ब्याज और शास्ति की शेष रकम, यदि कोई हो, (नियम 164 के उप-नियम (3) और उप-नियम (4) में संदर्भित मामलों में)

								6) के अनुसार पात्र हो गई है।											
	पूर्ति का स्थान (पीओएस)	अधिनियम	उपकर सहित कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	उपकर सहित कर	पूर्ति का स्थान (पीओएस)	अधिनियम	उपकर सहित कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	ब्याज	शास्ति	ब्याज	शास्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		सीजीएसटी								सीजीएसटी									
		एसजीएसटी								एसजीएसटी									
		आईजीएसटी								आईजीएसटी									
		उपकर								उपकर									
	योग								योग										
		सीजीएसटी								सीजीएसटी									
		एसजीएसटी								एसजीएसटी									
		आईजीएसटी								आईजीएसटी									
		उपकर								उपकर									
	योग								योग										

[हस्ताक्षर]

[कर अधिकारी का नाम]

[पदनाम]

[अधिकारिता]

[पता]

टिप्पण-किसी भी गलत घोषणा या तथ्यों को छिपाने से यह अनुमोदन शून्य

		हो जाएगा और लागू ब्याज और शास्ति के साथ बकाया देय रकम की वसूली की कार्यवाही हो सकती है। **प्ररूप जीएसटी एसपीएल -06** [नियम 164 (15)(ख) (i) देखें] **धारा 128क के अनुसार कार्यवाही के समापन के लिए आदेश** संदर्भ सं. ..... सेवा में, आवेदक का जीएसटीआईएन ..... आवेदक का विधिक नाम ..... आवेदक का पता ..... प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम - प्ररूप जीएसटी एसपीएल-01/ प्ररूप जीएसटी एसपीएल-02 की संदर्भ संख्या ..... तारीख ..... प्ररूप जीएसटी एसपीएल-07 की संदर्भ संख्या ..... तारीख ..... प्ररूप जीएसटी एपीएल-01 की संदर्भ संख्या ..... तारीख ..... विषय: धारा 128क के अधीन प्रस्तुत आवेदन के अनुमोदन के लिए आदेश 1. धारा 128क के अधीन ब्याज या शास्ति या दोनों के अधित्यजन का लाभ उठाने के लिए आपकी अपील के समर्थन में विवरण/जानकारी/निवेदन और दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए यह संदर्भ संख्या ..... तारीख ..... के साथ आपकी अपील के संदर्भ में है। 2. आपके आवेदन में दिए गए विवरण और उत्तर, जहां लागू हो, के सत्यापन पर धारा 128क के अधीन ब्याज या शास्ति या दोनों की छूट निम्नानुसार अनुज्ञात की जाती है: 3. मांग सूचना/मांग आदेश विवरण :

क.आदेश संख्या / सूचना संख्या :

ख.आदेश/नोटिस की तारीख:

वित्तीय वर्ष	नोटिस / कथन / आदेश में मांगी गई रकम जिसके विरुद्ध धारा 128क के अधीन आवेदन फाइल किया गया था (क)							(क) में से निम्नलिखित रकम में से, कैद न आई टीसी से संबंधित मांग जिसे केंद्र न धारा 16(4) के उल्लंघन के कारण अस्वीकार कर दिया गया है, न कि किसी अन्य आधार पर, और जो अब धारा 16(5) या धारा 16(6) के अनुसार पात्र हो गई है।	उक्त नोटिस / कथन / आदेश के लिए पहले से संदत्त रकम							धारा 128क के अनुसार अधित्यजित ब्याज और शास्ति की रकम माफ कर दी गई है		आवेदक द्वारा देय ब्याज और शास्ति की शेष रकम, यदि कोई हो, (नियम 164 के उप-नियम (3) और उप-नियम (4) में संदर्भित मामलों में)	
	पूर्ति का स्थान (पीओएस)	अधिनियम	उपकर सहित कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य		पूर्ति का स्थान (पीओएस)	अधिनियम	उपकर सहित कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	ब्याज	शास्ति	ब्याज	शास्ति

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		सीजीएसटी								सीजीएसटी									
		एसजीएसटी								एसजीएसटी									
		आईजीएसटी								आईजीएसटी									
		उपकर								उपकर									
	योग								योग										
		सीजीएसटी								सीजीएसटी									
		एसजीएसटी								एसजीएसटी									
		आईजीएसटी								आईजीएसटी									
		उपकर								उपकर									
	योग								योग										

[हस्ताक्षर]

[अपील प्राधिकारी का नाम]

[पदनाम]

[अधिकारिता]

टिप्पण -

किसी भी गलत घोषणा या तथ्यों को छिपाने से यह अनुमोदन शून्य हो जाएगा और लागू ब्याज और शास्ति के साथ बकाया देय रकम की वसूली की कार्यवाही हो सकती है।

प्ररुप जीएसटी एसपीएल-07

[नियम 164(12) देखें]

धारा 128क के अधीन प्रस्तुत आवेदन की अस्वीकृति के लिए आदेश

संदर्भ सं. .....

तारीख:

सेवा में,

आवेदक का जीएसटीआईएन .....

आवेदक का विधिक नाम .....

आवेदक का पता .....

संदर्भ निम्नलिखित के लिए आमंत्रित किया जाता है:

विशिष्टयाँ	संदर्भ संख्या	तारीख
प्ररुप जीएसटी एसपीएल -01/ प्ररुप जीएसटी एसपीएल -02 में आवेदन		
प्ररुप जीएसटी एसपीएल -03 में कारण बताओ नोटिस:		
कारण बताओ नोटिस का प्ररुप जीएसटी एसपीएल -04 में उत्तर:		

विषय: धारा 128क के अधीन प्रस्तुत आवेदन की अस्वीकृति के लिए आदेश

धारा 128क के अधीन ब्याज और शास्ति की छूट का लाभ उठाने के लिए आपके अनुरोध के समर्थन में विवरण/जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए संदर्भ संख्या.....तारीख.....के साथ यह आपके आवेदन के संदर्भ में है। ऊपर निर्दिष्ट सूचना आपको उन कारणों को स्पष्ट करने के लिए जारी किया गया था कि उक्त आवेदन को अस्वीकार क्यों नहीं किया जाना चाहिए, जिसके लिए आपने तारीख.... .....का उत्तर प्रस्तुत किया था/आपके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया था।

2. परिचय:

3. निवेदन, यदि कोई हो:

4. निष्कर्ष:

सत्यापन के आधार पर धारा 128क के अधीन फाइल किया गया संदर्भ संख्या .....तारीख..... के साथ आपका आवेदन एतद्द्वारा

अस्वीकृत किया जाता है।

5. अस्वीकृति का सारांश:

आदेश संख्या/ नोटिस संख्या	अस्वीकृति का कारण
	<ड्राप डाउन> *<ड्राप डाउन> में विकल्प* 1. *पूर्ण संदाय नहीं किया गया* 2. *धारा 128 क में अधिसूचित तारीख के बाद संदाय किया गया।* 3. *धारा 73 से भिन्न धाराओं से संबंधित सूचना /आदेश* 4. *अपील प्राधिकारी/अपील अधिकरण/उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय के समक्ष फाइल की गई अपील/रिट याचिका वापस नहीं ली गई* 5. *अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें।*

[हस्ताक्षर]

[कर अधिकारी का नाम] .....

[पद नाम].....

[कार्यालय का नाम] .....

[संपर्क जानकारी].....

प्ररुप जीएसटी एसपीएल-08

[नियम 164(15)(ख)(ii) देखें]

<u>नियम 164(15)(ख)(ii) के अधीन प्रस्तुत वचनबंध</u>

तारीख:

संदर्भ संख्या:

1. आवेदक का विधिक नाम .....
2. आवेदक का पता .....
3. आवेदक का जीएसटीआईएन:

		4. प्ररुप जीएसटी एसपीएल-02 की संदर्भ संख्या: ..... तारीख..... 5. प्ररुप जीएसटी एसपीएल-07 की संदर्भ संख्या: ..... तारीख..... 6. उपरोक्त क्रम संख्या 5 पर विनिर्दिष्ट प्ररुप जीएसटी एसपीएल -07 के संदर्भ के साथ पारित प्ररुप जीएसटी एपीएल-04 की संदर्भ संख्या: ..... तारीख..... 7. मूल रूप से फाइल की गई लेकिन पश्चातवर्ती रुप से वापस ले ली गई अपील की संदर्भ संख्या..... तारीख ..... **विषय: नियम 164 (15) (ख) (ii) के संबंध में प्रस्तुत वचनबंध।** महोदय/महोदया, मैं ऊपर क्रम संख्या 6 में यथाविर्निर्दिष्ट संदर्भ संख्या ..... तारीख..... वाले अपील प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील फाइल नहीं करने का वचन देता हूं, और तदनुसार मैं उपरोक्त क्रम संख्या 7 में यथानिर्दिष्ट संदर्भ संख्या ..... तारीख.....द्वारा फाइल की गई अपनी अपील को पुन: बहाल करने की प्रार्थना करता हूं। मैं_____ एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। [प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर] [प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम] [पदनाम/प्रास्थिति] [तारीख]

आज्ञा से,

Signed by
(एम0 देवराज)
M Devaraj प्रमुख सचिव
Date: 24-03-2025 13:32:32